राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3902/2025

ललित कुमार शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निबंधक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
3. जिला कलेक्टर, नागौर।
4. तहसीलदार मेडतासिटी, जिला नागौर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.08.2025
आदेश की दिनांक : 17.09.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार के पद पर मेडता सिटी, जिला नागौर में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 07.08.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से तहसील कार्यालय मोलासर से तहसील मेडता स्थानांतरणाधीन दर्शाते हुये नायब तहसीलदार अजमेर प्रथम, जिला अजमेर किया गया है। आदेश दिनांक 11.10.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार, मोलासर नागौर से कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार मेडता, जिला नागौर किया गया है। जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 15.10.2024 को मेडता, जिला नागौर में कार्यग्रहण कर लिया और उसी दिन जिला कलेक्टर, नागौर को पत्र प्रेषित किया गया। तब से अपीलार्थी निरंतर मेडता, जिला नागौर में कार्यरत है। परंतु आलोच्य आदेश में अपीलार्थी को तहसील कार्यालय

मोलासर से तहसील मेडता स्थानांतरणाधीन दर्शाते हुये नायब तहसीलदार अजमेर प्रथम, जिला अजमेर दर्शाया गया है, जो बिना विवेक का प्रयोग किये जारी किया गया है। उक्त स्थान पर अपीलार्थी कार्यग्रहण करने के बावजूद उसे स्थानांतरणाधीन दर्शाया गया है, जो नियम विरूद्ध है। अपीलार्थी जन्मतिथि 25.11.1966 के अनुसार दिनांक 30.11.2026 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने जा रहा है और इस प्रकार 15 माह का समय शेष होने के बावजूद अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अपीलार्थी का स्थानांतरण 10 माह की अल्पावधि में ही किया गया है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 07.08.2025 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार मेडता, जिला नागौर में कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण आलोच्य आदेश दिनांक 07.08.2025 के द्वारा किया गया है। उसे आदेश दिनांक 11.10.2024 के द्वारा कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार मोलासर, नागौर से तहसीलदार मेडता, जिला नागौर स्थानांतरण किया गया है और दिनांक 15.10.2024 को अपीलार्थी ने कार्यग्रहण किया। आलोच्य आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा प्रशासनिक आधार पर जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन नहीं है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष नियम विरूद्ध है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार के पद पर मेडता सिटी, जिला नागौर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 07.08.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से तहसील कार्यालय मोलासर से तहसील मेडता स्थानांतरणाधीन दर्शाते हुये नायब तहसीलदार अजमेर प्रथम, जिला अजमेर किया गया है। आदेश दिनांक 11.10.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार, मोलासर नागौर से कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार मेडता, जिला नागौर किया गया है। जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक

15.10.2024 को मेडता, जिला नागौर में कार्यग्रहण कर लिया और उसी दिन जिला कलेक्टर, नागौर को पत्र प्रेषित किया गया। तब से अपीलार्थी निरंतर मेडता, जिला नागौर में कार्यरत है। जहां तक अपीलार्थी को आलोच्य आदेश के द्वारा स्थानांतरणाधीन दर्शाते हुये स्थानांतरण किये जाने का प्रश्न है, आलोच्य आदेश दिनांक 07.08.2025 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को तहसील कार्यालय मोलासर से तहसील मेडता स्थानांतरणाधीन दर्शाते हुये नायब तहसीलदार, अजमेर प्रथम, जिला अजमेर महेन्द्र कुमार जैन के स्थान पर स्थानांतरण किया गया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को तहसील मेडता से नायब तहसीलदार, अजमेर प्रथम, जिला अजमेर स्थानांतरित किया गया है और आदेश दिनांक 11.10.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार मोलासर, नागौर से कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार मेडता, जिला नागौर स्थानांतरित किया गया था और मेडता जिला नागौर से ही अपीलार्थी को अजमेर प्रथम, जिला अजमेर स्थानांतरित किया गया है। इस प्रकार हमें उक्त आलोच्य आदेश में कोई विधि विरूद्धता प्रकट नहीं होती है। जहां तक अपीलार्थी को 15 माह की सेवा शेष होने के बावजूद स्थानांतरण किये जाने का प्रश्न है, अपीलार्थी का स्थानांतरण प्रशासनिक अत्यावश्यकता के आधार पर किया गया है और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. स्पेशल अपील रिट संख्या 53/2020 गोपाल राम पुत्र श्री लिख्माराम वाले मामले में ऐसे स्थानांतरण आदेशों में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं माना है। इस प्रकार अपीलार्थी का स्थानांतरण सक्षम स्तर से विधि सम्मत नियमानुसार किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य